न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
परिवाद प्रार्थना पत्र :120/2021
निर्णय दिनांक : 03.10.2023

1. सफी खा उर्फ ईद मोहम्मद पुत्र नूर खॉ उर्फ नूर मोहम्मद, निवासी मुसलमानों का मौहल्ला तहीसीलदार सांगानेर जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

प्रार्थी की ओर से ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1074, 1075, 1076, 1079 लगायत 1086 कुल किता 11 कुल रकबा 2.48 हैक्टेयर के सन्दर्भ में इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि ठाकुर जयसिंह पुत्र बैरीसाल से दिनांक 14.12.1963 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय की गई थी तथा भूमि क्रय किये जाने के पश्चात् से प्रार्थी उक्त भूमि का एवं मात्र मालिक खातेदार व काबिज खातेदार कांश्तकार है। तथा समस्त कृषि लगानों का संदाय भी प्रार्थी द्वारा ही किया जाता आ रहा है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थी द्वारा ईदमोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद के नाम से क्रय की गई थी, लेकिन उसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा अपना नाम परिवर्तित कर शफी खॉ पुत्र नूर खॉ रख लिया गया है। प्रार्थी की आयु लगभग 90 वर्ष लगभग हो गई है। तथा नाम परिवर्तन के कारण प्रार्थी के विधिक वारिसान को भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पडे इस हेतु प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् नाम दुरूस्ती का तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर के समक्ष दिनांक 18.01.2021 को प्रस्तुत किया गया था, जिसके क्रम में तहसीलदार सांगानेर द्वारा रिपोर्ट हेतु पटवारी हल्का को निर्देश के अनुसरण में पटवारी हल्का द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई ... रिपोर्ट प्राप्ति पश्चात् भी अप्रार्थी/तहसीलदार सांगानेर द्वारा ... के नाम जमाबन्दी में (परिवर्तित नाम अनुसार) दुरूस्त नहीं ... प्रार्थी को प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ईद मोहम्मद पुत्र नूर

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:26:44 IST
Reason: SelfAttested

मोहम्मद उर्फ नूर खाँ के स्थान पर साफी खाँ पुत्र नूर मोहम्मद उर्फ नूर खाँ किया जाने हेतु निर्देशित किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र (बाबत नाम संशोधन) के संदर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए है:-

1. पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.12.1963 की प्रमाणित प्रति।
2. पर्चा लगान भू-प्रबन्ध (जुलाई 1989 से जून 2009) की प्रमाणित प्रति।
3. पहचान दस्तोवजात यथा- आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेनकार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति।
4. जमाबन्दी समवत् 2074-2077 की प्रमाणित प्रति।
5. ग्राम पंचायत कलवाड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 18.09.2020 की प्रमाणित प्रति।
6. तहसीलदार सांगानेर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उक्त सन्दर्भ में पटवारी हल्का रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नोटिस व तहरीर जारी की गई। जिसके क्रम में तहसीलदार सांगानेर की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली की जाकर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्ण अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त दिनांक 14.12.1963 को ईदमोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद नाम से क्रय की गई थी। जिसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में क्रेता ईद मोहम्मद का नाम अंकित किया गया है। जो क्रय किए जाने के क्रम में आज दिनांक तक प्रचलित रूप से अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त पहचान दस्तावेजात में प्रार्थी की पहचान सफी खाँ पुत्र नूर खाँ के रूप में अंकित है। दस्तावेजात में प्रार्थी के नाम की संदर्भता ईद मोहम्मद नाम से होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नही है, ना ही नाम परिवर्तन के संदर्भ में विधिक प्रक्रिया के पालन का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिससे राजस्व रिकार्ड में किए गए इन्द्राज में कोई त्रुटि सिद्ध नही होती है। जिससे प्रार्थना पत्र में वांछित अनुतोष धारा 136 के अनुसार Correction of error की जद में नही आने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज 03.10.2023 दिनांक को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:25:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर-द्वितीय, (सांगानेर)
,जयपुर